हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 11 अंक : 5,6 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मई, जून, 2020

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

असंवैधानिक रूप से गठित मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग को भंग किया जाये: समता आन्दोलन

भारतीय संविधान में राज्य सरकारों को किसी भी अनूसचित जाति/जनजाति आयोग के गठन का अधिकार नही दिया गया है। अनुच्छेद 338 के अधीन केवल मात्र एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के गठन के ही प्रावधान है।

जयपुर। मध्यप्रदेश राज्य अनूसचित जाति आयोग के गठन किये जाने एवं आयोग के अध्यक्ष श्री आनन्द अहीरवाल एवं सदस्य श्री प्रदीप अहीरवाल द्वारा अविधिक एवं असंवैधानिक गतिविधियाँ किये जाने की जानकारी मिलने पर समता आन्दोलन समिति ने राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश सरकार को पत्र लिखकर असंवैधानिक रूप से गठित मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आयोग को तत्काल भंग करने की मांग की है।

पत्र में समता आन्दोलन समिति ने लिखा है कि हम आपकी जानकारी में यह लाना चाहते है कि भारतीय संविधान में राज्य को ऐसे किसी भी अनूसचित जाति आयोग के गठन का अधिकार नही दिया गया है। अनुच्छेद 338 के अधीन केवल मात्र एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन के ही प्रावधान है। किसी भी राज्य सरकार को ऐसा कोई भी कानून या आयोग बनाने का अधिकार नहीं है जिसका अधिकार उसे भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है।

उपरोक्तानुसार यह प्रकटत: प्रमाणित है कि मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक असंवैधानिक संस्था है। जिसके लिए मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति अधिनियम 1995 भी असंवैधिनिक रूप से पारित व लागू किया हुआ है। इस प्रकार यह असंवैधानिक आयोग वोटो की राजनीति के लिए जनता द्वारा दिये गये राजस्व का प्रकटत: दुरूपयोग है, अपव्यय है, सफेद हाथी है। इस आयोग की गतिविधियाँ राज्य लोक प्रशासन को जातिवाद की ओर धकेलने वाली हैं, राज्य की जनता में समरसता और सदभाव खत्म करके जातिगत दुर्भावना फैलाने वाली हैं।

पत्र में आगे लिख है कि यह आयोग राज्य के वंचित दलितों के अधिकारों को लूटने वाले अजा वर्ग के क्रिमीलेयर लोगों के हाथों की कटपुतली बन कर कार्य कर रहा है।

ऐसी परिस्थितियों में आपसे राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश सरकार से निवेदन किया गया है कि आप उपरोक्त असंवैधानिक रूप से गठित मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आयोग को तत्काल भंग करने की कृपा करें अन्यथा हमें न्यायापालिका की शरण में जाने को बाध्य होना पडेगा।

आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के कई दलों की याचिका पर सुनवाई के दौरांन की यह टिप्पणी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल पाठयक्रमों में नामांकन के लिए देश स्तर के कोटे में तलिलनाडु द्वारा छोड़ गयी सीटों में अन्य पिछड़ वर्गों (ओबीसी) को 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई से यह कहते हुए गुरूवार को इनकार कर दिया कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ ने इस मसले पर द्रमुक, अन्नाद्रमुक और वाम दलों के एक मंच पर आने को लेकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, ''हम देख रहे हैं कि सभी विरोधी राजनीतिक दल इस मामले में एकजुट हो गये हैं, लेकिन आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चुनौति नहीं दी जा सकती।''

न्यायालय ने टिप्पणी की कि किसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ? अनुच्छेद-32

केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए है। ''हम मानते हैं कि आप सभी तमिलनाडु के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में रूचि रखते हैं, लेकिन आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।''

द्रमुक ने भी मेडिकल के पाठयक्रमों में प्रवेश के मामले में छात्रों को इसी तरह की राहत का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। अन्नाद्रमुक ने याचिका में कहा था कि तमिलनाडु के कानून के तहत व्यवस्था के बावजूद अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं देना तर्कसंगत नहीं है।

कोर्ट द्वारा सुनवाई से इंकार करने पर वापिस ली गई याचिकाएं

न्यायमूर्ति राव ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम याचिका खारिज करें या आप याचिका वापस लेंगे। आप याचिका वापस लेना चाहते है तो हम इसकी अनुमति व मद्रास उच्च न्यायालय जाने की छूट दे सकते है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं वापस ले लीं। इस माह पहले हफ्ते में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तमिलनाडु इकाई ने वर्ष 2020-21 में मेडिकल और डेन्टल पाठयक्रमों के लिये अखिल भारतीय कोटे में राज्य द्वारा छोड़ी गई सीटों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमश: 50, 18 और एक प्रतिशत आरक्षण देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में स्वास्थ मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों के साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद और नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशंस को पक्षकार बनाया गया था।

प्रधानमंत्री महोदय को समता का पत्र

अजा/अजजा वर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर करने की अधिसूचना जारी की जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखकर माननीय सर्वोज्य न्यायालय की तीन संविधान पीठों द्वारा दिये गये निर्णयों की पालना करते हुये अजा/अजजा वर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर करने की अधिसूचना जारी करने बाबत निवेदन किया गया है।

पत्र में निवेदन किया गया है कि यह तीन निर्णय है:-

1. दिनांक 19.10.2006 को एम. नागराज एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य प्रकरण में दिया गया निर्णय।
2. दिनांक 26.09.2018 को जनरैल सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार, समता आन्दोलन समिति एवं अन्य के प्रकरण में दिया गया निर्णय।
3. दिनांक 22.04.2020 को आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के प्रकरण निर्णय।

पत्र में लिखा है कि आप जैसे तपस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि पूरे विश्व में देश हित और गरीब पिछड़ों के हित में सख्त निर्णय लेने के लिए विख्यात है, से हमारी यह प्रार्थना है कि जो अजा/अजजा वर्ग के आरक्षण और खरबों रूपये की सरकारी योजनाओं का लाभ सत्तर वर्षों से केवल तीन-चार प्रतिशत क्रीमिलेयर, धनाढय, सम्पन्न लोगों द्वारा पीढी दर पीढी हड़पा जा रहा है उसे तत्काल बन्द करने की कृपा करे।

देश के 96-97 प्रतिशत गरीब, पिछड़े, वंचित दलितों तक आरक्षण एवं खरबों रूपये की सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उपरोक्त निर्णयों की पालना में तत्काल अधिसूचना जारी करवा कर अजा/अजजा वर्ग से क्रीमिलेयर लोगों को बाहर किया जावे।

इस क्रम में राजस्थान के प्रतिष्ठित अखबार राजस्थान पत्रिका के प्रधान सम्पादक श्री गुलाब कोठारी का दिनांक 28.04.2020 को प्रकाशित अग्रलेख भी प्रेषित किया गया। जो निर्भीक, प्रगाढ़, विचारोतेज्जक लेखन की मिशाल होने के साथ-साथ केन्द्र और राज्यों की सरकारों को प्रेरणा देने वाला है। गरीब, वंचित, पिछड़े दलितों से विश्वासघात करने वाले जातिवादी राजनेताओं को शर्मसार करने वाला है।

अध्यक्ष की कलम से

एक और नया कदम

समता आन्दोलन के चार घोषित उद्देश्यों को पढने, समझने के पश्चात कोई भी विवेकशील व्यक्ति जान सकता है कि हमारे देश को सभी प्रकार के भेदभाव एवं बुराइयों से मुक्त करा के सर्वश्रेष्ठ बनाने का साधन है समता आन्दोलन। हमने हजारों वर्ष पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को भेदभाव पूर्ण व्यवहार से मुक्ति से दिलाने और एलोपैथी में चल रहे खरबों रूपयों के देशी-विदेशी घोटालों से देश को मुक्त कराने के लिए समता आयुर्वेद प्रकोष्ठ को पुन: गठित करके सक्रिय बनाया है। इस प्रकोष्ठ के दो घोषित स्लोगन है- आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भगाइये व आयुर्वेद अपनाइये, भारत को विश्व गुरू बनाइये।

आयुर्वेद प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी में अब तक राज्य के आयुर्वेद क्षेत्र के तीन मूर्धन्य विद्वानों को संरक्षक के पद पर आसीन किया जा चुका है। आयुर्वेद प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी में भी सरकारी सेवारत, सेवानिवृत, निजी क्षेत्र एवं एनआरएचएम के विद्वान, अनुभवी तथा कर्मठ आयुर्वेदाचार्यों को जोड़ा जा रहा है। जो अपनी कार्यशैली से राजस्थान राज्य में आयुर्वेद को इस प्रकार प्रतिष्ठित करने का काम करेंगे कि पूरे देश और संसार में इस भारतीय चिकित्सा पद्धति से समाज व अर्थव्यवस्था नये सिरे से परिभाषित होगी। जातिगत आरक्षण का विरोध हमारा इसी दिशा में एक कदम है। इससे हमारे देश में जातिगत भेदभाव और जातिगत राजनीति से मुक्त समाज का निर्माण करने में दूरगामी परिणाम सामने आने की संभावना है।

सम्पादकीय

प्रश्नों से घिरती न्याय व्यवस्था

''भारी भरकम से जुडे मामले या नामी गिरामी कानूनी फर्मों के मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने में प्राथमिकता पाते हैं''- ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की साख को तार-तार करने के लिये पर्याप्त से अधिक है। ये कथन सुप्रीम कोर्ट के ही जज रहे दीपक गुप्ता ने अपने तीन साल के अनुभव के आधार पर कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की साख तो 12 जनवरी 2018 को ही एक चौथाई रह गई थी जब न्याय की सर्वोच्च पीठ के सर्वोच्च चार जज सारी नैतिक और वैधानिक सीमाओं को तोड़कर कथित मीडिया के सामने निहित स्वार्थों के लिये गिड़गिड़ाये थे। इस घटना को भी जस्टिस दीपक गुप्ता ने सही नहीं माना है।

जस्टिस गुप्ता का ये कहना कि वे राज्यसभा की सीट भी स्वीकार नहीं करेंगे! सीधे सीधे रंजन गोगोई, संसद और सरकार को शर्मिन्दा करने के लिये काफी है।

जाति आरक्षण के कारण निंचली अदालतीं की हालत कितना शंकास्पद हो गई है तो किसी से छुपा नहीं है। यहॉ तक सुना गया है कि कोटे की कृपा से आये जज अपने मुंशी के लिखे आदेशों पर हस्ताक्षर करके निर्णय दे रहे हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दस बारह सालों पुराने कितने मामले सुनवाई की प्रतीक्षा में हैं और समर्थ व कथित राजनेताओं के मामले तत्काल सूचीबद्ध होकर निर्णय पा रहे है। यहॉ के निर्णयों को न्याय कह पाना बहुत कठिन है। इसका सीधा सा मतलब है कि निर्णय एक तदर्थ व्यवस्था मात्र है जो कभी भी बदला जा सकता है। और ऐसा हो भी रहा है। एक दम कम शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अब ''ला ऑफलैंड'' की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं। जिस तेजी से सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को बदलने की घटनाएं पढ़ने सुनने को मिलती हैं वे निराश करती है।

कम से कम समता आन्दोलन अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता है कि अदालतों से न्याय तो मिलेगा ही नहीं। हॉ, कभी कभार कोई निर्णय पक्ष में मिल जाता तो उसे लागू करवाने के लिये फिर-फिर अदालत के दरवाजे ही खटखटाने पड़ते है। यदि आंख बन्द करके वर्तमान की सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था पर ''ध्यान'' केन्द्रित किया जाये तो मानस पटल पर चित्र उभरता है वो बार और बैंच के बीच अपवित्र गठजोड़ की तरफ साफ इशारा करता है। पीड़ित पक्ष ये समझता है कि उसका वकील मोटी फीस लेकर अपने सीनियर होने का प्रमाणित करेगा ? लेकिन सच में पीड़ित पक्ष वकील को फीस देकर उसका बंधुआ बनकर रह जाता है। इस तरह न्याय के नाम पर पीडित पक्ष के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है कि उसकी पीढ़ियॉ गुजर जाती हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता। मिलता है तो बस निर्णय जो नाम मात्र का ही होता है। उसे लागू करवा पाना असंभव जैसा कठिन है।

हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट सामान्य रिट और जनहित याचिकाओं का मूल्यांकन एक ही मानदण्ड से करते प्रतीत होते हैं। जबकि पीआईएल अथवा जनहित याचिकाओं में सैंकडों, हजारों, लाखों और कभी-2 करोडों लोगों का भाग्य जुडा होता है। लेकिन वकील लोग कभी भी अदालत का ध्यान गंभीरता से इस तथ्य की तरफ नहीं लाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि जस्टिस दीपक गुप्ता का आरोग्य तथ्यपरक है।

इन हालातों में देश की 130 करोड़ जनता करे तो क्या करे ? हालांकि बिफरी जनता के जो संकेत दिखाई देते है वे चौकाने से अधिक डराने वाले है। अदालत परिसर में और बाहर न्याय की पवित्रता की जो गंध हुआ करती थी उसी अराजकता का राहू ग्रस रहा है। पार्टीतंत्र में बदला लोकतंत्र अब जन और गण का भूलकर धौंसपट्टी को आदर्श मानने लगा है। यह शुभ लक्षण नहीं।

(अपने पाठकों को हम कोरोना वायरस के कारण ये जानकारी देना चाहेंगे कि पिछले ग्यारह-बारह सालों में पहली बार हुआ है कि समता ज्योति का अप्रैल मास का अंक हम नहीं दे पाये हैं और मई-जून का संयुक्तांक देना पड़ रहा है। कोरोना का नाश हो।)

जय समता ।

- योगेश्वर झाड़सरिया

समता आन्दोलन समिति के पत्र का असर

आयुर्वेद चिकित्सों एवं नर्सों की सेवाएँ वापिस विभाग को सौपी

जयपुर: प्रदेश में आयुष डाक्टरों एवं नर्सों की सेवाएँ वापस आयुर्वेद विभाग को सौंप दी गई है। इस संबंध में समता आन्दोलन समिति ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि राजस्थान आयुर्वेद विभाग के अधीन कार्यरत हजारों विद्वान अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सकों एवं आयुर्वेद नर्सेज को आयुर्वेद सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ के द्वारा दिनांक 07 अप्रेल 2020 को जारी एक तुगलकी फरमान से आयुर्वेद चिकित्सकीय कार्यों में पूरी तरह निष्क्रीय करते हुये एलोपेथी के चिकित्सकों के अधीन असम्बद्ध एवं अप्रासंगिक कार्यों को करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। प्रदेश के हजारों आयुर्वेद चिकित्सालय बंद पड़े हैं, हजारों आयुर्वेद चिकित्सक एवं नर्सेज अपमानित व हतोत्साहित हैं तथा लाखों आयुर्वेद प्रेमी नागरिक अविधिक रूप से आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेदिक औषधी एवं आयुर्वेदिक सलाहों से वंचित किय जा चुके हैं।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी अनेक बार देश को सम्बोधित करते हुये कोविड-19 महामारी के परीपेक्ष में आयुर्वेद को महत्वपूर्ण बताया है। केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी आयुर्वेदिक औषधियॉ लेने के लिए एडवाइजरी जारी की है जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी दिनांक 05.06.2020 को आदेश जारी करके कोविड-19 के उपचार में लगे सभी चिकित्सकों को आयुर्वेदिक औषधियों को उपयोग में लेने के लिए पाबन्द किया गया है।

ऐसी परिस्थितियों में आयुर्वेद विभाग के संरक्षक होने के नाते श्रीमती गायत्री राठौड द्वारा जहां विद्वान और अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सकों एवं नर्सेज का मनोबल बढाकर उनका विवेकपूर्ण उपयोग करके प्रदेश के हजारों कोरोना पीड़ितों के उपचार में लगाकर चिकित्सा प्रशासन के सामर्थ्य को द्विगुणित करना चाहिये था लेकिन उन्होंने पूरे आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रशासन को अविधिक रूप से ठप्प करते हुये नकारा कर दिया जिससे प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बिना उचित उपचार के सैकड़ों तक पहुंच गई है। बिना आयुर्वेद उपचार के प्रदेश में मरने वाले कोविड-19 के मरीजों की मौत की जिम्मेदार जहां श्रीमती गायत्री राठौड हैं वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सा से वंचित किये गये लाखों आयुर्वेद प्रेमियों की पीड़ाओं के लिए भी वे ही जिम्मेदार हैं।

समता आन्दोलन द्वारा श्रीमती गायत्री राठौड को दिनांक 14.05.2020 को ज्ञापन (प्रति संलग्न) प्रस्तुत करके उपरोक्त अविधिक आदेश दिनांक 07.04.2020 को तत्काल निरस्त करने का विनम्र आग्रह किया गया था लेकिन श्रीमती गायत्री राठौड़ अपनी जिद पर अड़ी हुई है और वाह्य कारणों से प्रेरित होकर प्रदेश के पूरे आयुर्वेद विभाग को जड़-मूल से खत्म करने पर तुली हुई हैं।

अत: आपसे प्रार्थना है कि कोविड-19 के मरीजों की मौतों को कम करने के लिए, प्रदेश के आयुर्वेद विभाग के अस्तित्व को बचाने के लिए, हजारों कर्तव्यनिष्ठ, विद्वान, अनुभवी आयुर्वेदाचार्यों एवं नर्सेज की अस्मिता एवं सेवाओं के संरक्षण के लिए कृपया आयुर्वेद विभाग की सचिव श्रीमती गायत्री राठौड को तत्काल स्थानान्तरित किया जावे। इनकी जगह किसी अनुभवी, विवेकशील, संजिदा प्रशासनिक अधिकारी को आयुर्वेद सचिव बनाया जावे ताकि प्रदेश में आयुर्वेद का चहुमुखी विकास और उत्थान होने के साथ-साथ कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं उपचार में भी समुचित उपयोग किया जा सके।

समता आन्दोलन समिति ने आयुर्वेद चिकित्सों एवं नर्सों की सेवाएँ वापिस विभाग को सौपने पर रघु शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद ज्ञापन भिजवाया गया है।

जातिगत आरक्षण पर 'पुनर्विचार आवश्यक' अग्रलेख पर गुलाब कोठारी को साधुवाद। साधुवाद। साधुवाद।

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने राजस्थान पत्रिका के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी को पत्र लिखकर राजस्थान पत्रिका के दिनांक 28.04.2020 को प्रकाशित अंक में जातिगत आरक्षण पर 'पुनर्विचार आवश्यक' अग्रलेख पर साधुवाद ज्ञापित किया है। समता आन्दोलन समिति ने पत्र में लिखा है कि जातिगत आरक्षण पर 'पुनर्विचार आवश्यक' शीर्षक से आप द्वारा लिखित अग्रलेख केन्द्र और राज्यों की सभी सरकारों तथा नीति नियामकों का सशक्त और निर्भीक मार्गदर्शन करने वाला है। आपने जातिगत आरक्षण व्यवस्था के पुनर्विचार तथा अनुसूचित जाति व जनजातिवर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर करने के न्यायिक निर्णय की विलक्षण व्याख्या जिस भारतीय संस्कृति और सनातन सिद्धान्तों के आधार पर असली दलितों व वंचितों के कल्याणमय उद्देश्य से की है वह निश्चित ही आपकी लेखनी की निर्भीकता, विचारों की प्रगाढता और पत्रकारिता के अतिदुर्लभ मानदण्ड स्थापित करने वाली है। हमारे हजारों कार्यकर्त्ता आपको समता आन्दोलन की ओर से सम्मानित करने की लगातार मांग कर रहे हैं।

आपके इस अग्रलेख से पूरे देश के सोशल मीडिया पर भूचाल सा आ गया है। सैंकडो, हजारों वाट्सप ग्रुप्स, फेसबुक्स, ट्विटर्स, इन्स्टाग्राम आदि पर लाखों की संख्या में आपके अग्रलेख को समर्पित विचार आ रहे हैं। लाखों करोडों लोगों को उद्वेलित करने वाले ऐसे कालजयी लेख अनेक वर्षों तक याद रखे जाते है।

असली दलितों, पिछडों व वंचितों के अधिकारों को लूटने वाले अजा/अजजा के सम्पन्न लोगों में से कुछ निर्दयी कलियुगी अहंकारी क्रीमिलेयर लोग नकारात्मक माहौल बनाकर अपनी अनैतिक लूट को जारी रखने का प्रयास भी कर रहे हैं। सौभाग्य से अब अनुसूचित जाति व जनजाति के वंचित गरीब लोग उनके चेहरे पहचान रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाने लगे हैं तथा उनसे गुमराह भी नहीं हो रहे हैं।

समता आन्दोलन के समतावादी अभियान को आप के इस विचारोत्तेजक अग्रलेख से एक नई दिशा मिलना तय है। आपकों, आपकी लेखनी को, नमन है। साधुवाद। साधुवाद। साधुवाद।

मतदान की सुविधा ऑनलाइन की जावे: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर ऑन लाइन मतदान की सुविधा दिये जाने का अनुरोध किया है। पत्र लिखा है कि अनेक कारणों से मतदान के दिन मतदान से वंचित रहने वाले मतदाताओं को मतदान करने की सुविधा ऑनलाइन प्रदान करके भारतीय प्रजातंत्र को और अधिक मजबूत, पारदर्शी व समावेशी बनाया जा सकता है। मतदान की पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए मतदान पहचान पत्र, आधारकार्ड, फिंगरप्रिन्ट एवं पंजीकृत मोबाइल नम्बर को मतदान करने वाले व्यक्ति की पहचान सुनिश्चत करने के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिये। आपके इस प्रयास से निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत बढेगा, किन्हीं कारणों से असमर्थ मतदाताओं को प्रजातांत्रिक प्रकिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा तथा भारतीय प्रजातंत्र और अधिक मजबूत, पारदर्शी एवं सशक्त होगा। आपका यह कदम भविष्य में सम्भावित अनिवार्य मतदान कानून लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

पौराणिक कथन : 'ढुंढा'

हिरण्यकश्यप की बहन भक्त प्रहलाद की बुआ। वरदान के बल पर प्रहलाद को जलाने के बजाय खुद जल मरी। होलिका इसी का त्यौहार है।

अभिनंदित है बासी पानी,
गंगाजल बस सुबक रहा है।
गिद्ध घूमते आसमान में,
हंस डरकर दुबक रहा है।।

'समता आन्दोलन के सदस्य बने और बनाएं'

कविता

दंशावतार

आरक्षण का दंश
फिर-फिर देता रहा है
भारत माँ के
शरीर को दंश दर दंश
नीली सी पड़ गई है
धरती की देह
रोम-रोम दहक रहा है
दंश के जहर से
छूत के भयानक रोक की तरह
स्वस्थ संगों के शरीर को
संक्रामक करता उग रहा है
रगों से बाहर आने को
उतावला हुआ
दंश जनित खून,
दिल और फेफड़े
थक गये है
साफ करते करते
दंशित खून
अब कहना कठिन है
शिराओं में बहता है
साफ सुथरा
प्राणों का आधार
लाल-लाल गाढ़ा खून
डॉक्टर थक गये हैं
ड्रिप लगाते, दबाएं देते
आकाश में उछलते हैं
लोकतंत्र के नारे
न्याय के हरकारे
जमीन पर इंच-इंच
फैल गया है
दंशित खून लिये
शापित जन गण मन।

- योगेश्वर शर्मा -

शिक्षा में आरक्षण : अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

गतांग से आगे:-

ये प्रगतिशील न्यायाधीश जब अपनी किसी धारणा को आधार देना चाहते हैं तो तुरंत इस तरह की टिप्पणियों का सहारा ले लेते हैं-जैसी इंद्रा साहनी मामले में हमने अभी देखी-और फिर उसे सीधा मामले से जोड़ देते हैं।

और ऐसा वे चाहते कब नहीं है? अजय कुमार सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपने नियम-निरूपण को एक अलग ही रूप दे देता है। उपर्युक्त टिप्पणी करते समय (सर्वोच्च) न्यायालय अनुसंधान एवं विकास संगठनों के पदों और औषधि-चिकित्सा, अभियांत्रिकी तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता व अति-विशेषज्ञता की बात कर रहा था। न्यायालय विशेषज्ञता अथवा अति-विशेषज्ञता के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की बात नहीं कर रहा था। वैसे, एम.एस. और एम.डी. पाठ्यक्रम अति-विशेषज्ञता के अंतर्गत नहीं आते। यह सर्वोच्च न्यायालय का नियम-निरूपण है। कितना घालमेल किया गया है कोई विषय या पाठ्यक्रम अति-विशेषज्ञता क्षेत्र के अंतर्गत आता है या नहीं, यह संबंधित विषय पर निर्भर करता है; और सर्वोच्च न्यायालय उसे संबंधित नियम की डिग्री से जोड़कर प्रस्तुत कर रहा है।

और अब कहा जा रहा है, ''न्यायालय ने ऐसा बिलकुल भी नहीं कहा कि वे स्वीकार्य नहीं हैं; सरकार को इन पदों की प्रकृति और स्तर को ध्यान में रखकर आरक्षण के औचित्य पर विचार करने के लिए कहा गया था।'' यह सफाई है तीन न्यायाधीशों की एक खंडपीठ की, जो इंद्रा साहनी मामले के नौ न्यायाधीशों की खंडपीठ के नियम-निरूपण का ही खंडन करती है। लेकिन दोनों ही खंडपीठों की एक दिलचस्प और उभयनिष्ठ बात है-एक ही सक्रियतावादी न्यायाधीश।

ऐसे एक नहीं, कई मामले हैं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने विशेषज्ञता और अति-विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश की बात की है। इस संदर्भ में डॉ. जगदीश शरण बनाम भारत संघ मामला उल्लेखनीय है। इस तरह के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी कुछ इस प्रकार है-

...लेकिन स्मरण रखना होगा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में और प्रत्येक पाठ्यक्रम में आरक्षण लागू कर देने या अव्यवस्था फैला देने से किसी कानून पर उससे संबंधित अपवादों का ही प्रभाव दिखाई पड़ने लगे। उदाहरण के लिए, आप योग्य अभ्यार्थियों को पूरी तरह बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से कम योग्य और निम्न-स्तरीय अभ्यर्थियों को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार, चिकित्सकीय प्रतिस्पर्धा में गिरावट आएगी, जो संबंधित क्षेत्र के लिए घातक होगा।

वास्तविक प्रतिभा को प्रवेश द्वार पर रोककर जनता को नीम-हकीम और झोला छाप चिकित्सा सेवा लेने के लिए विवश करना किसी भी तरह से ठीक नहीं। प्रतिभाओं को प्रवेश से वंचित भी नहीं किया जा सकता, क्योकि इससे राष्ट्र की क्षति होगी और किसी क्षेत्र विशेष का हित राष्ट्रीय हित से बढ़कर कभी नहीं हो सकता।

एक क्षण के लिए विचार करें और देखें कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं की सच्चाई को किस हद तक स्वीकार कर चुका है। उसके अनुसार स्वीकार्य क्या है? यही कि 'आप योग्य अभ्यर्थियों को पूरी तरह बाहर नहीं कर सकते.....।'

लेकिन आगे क्या होता है-

वास्तविक प्रतिभा को प्रवेश द्वार पर रोककर जनता को नीम-हकीम और झोला छाप चिकित्सा सेवा लेने के लिए विवश करना किसी भी तरह से ठीक नहीं। प्रतिभाओं को प्रवेश से वंचित भी नहीं किया जा सकता, क्योकि इससे राष्ट्र की क्षति होगी और किसी क्षेत्र विशेष का हित राष्ट्रीय हित से बढ़कर कभी नहीं हो सकता। अत: इन सीमाओं के भीतर सरकारी नीतियों के लिए कोई स्थान नहीं है। समानता का सिद्धांत एक अन्य सीमा है। किसी क्षेत्र की मूलभूत चिकित्सा आवश्यकताएँ या कमजोर वर्ग के लिए किया गया वरीयतापूर्ण प्रावधान कुछ विशेषज्ञतावाले क्षेत्रों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, जिसमें कुशलता या दक्षता को ध्यान में रखकर सर्वोत्तम प्रतिभा का चुनाव करना पड़ता है। पी-एच.डी., एम.डी. या अन्य अधिक कुशलता वाले स्तरों पर, जहाँ प्रतिभा का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय मानदंड पर किया जाता है और जहाँ एक महान् वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ के खोने से राष्ट्र को क्षति होती है, वहाँ ये नियम लागू नहीं होते। यहाँ समानता का अपेक्षाकृत अधिक महत्व है और उसमें हस्तक्षेप करना खतरे से खाली नहीं हो समता। भारतीय चिकित्सा परिषद् ने ठीक ही कहा है कि स्थानीय जनता की भावनाओं को सँभालने के लिए योग्यता या गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने का उलटा परिणाम होगा। नीम-हकीमी खतरनाक कला है। यहाँ भारतीय चिकित्सा परिषद् की संस्तुति उल्लेखनीय है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए-

'स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए छात्रों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जिसका मूल्यांकन स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम में छात्र के शैक्षिक अभिलेख के आधार पर किया जाएगा। स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सभी चयन विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाना चाहिए।'

यहाँ मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के उस निर्णय का था, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 70 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की बात थी। लेकिन, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में केवल योग्य और प्रतिभावान् छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात रखी है, वह 'संस्थागत आरक्षण' की सीमा से परे है। इसी क्षेत्र विशेष का हित राष्ट्र के हित के संदर्भ में क्या कहा था- ''....किसी क्षेत्र विशेष का हित राष्ट्र के हित से बढ़कर नहीं हो सकता।'' क्या यही बात 'जाति' के संदर्भ में लागू नहीं होती? ''...किसी जाति विशेष का हित राष्ट्र के हित से बढ़कर नहीं हो सकता।'' और शब्दों के चयन से भी शायद अब तक आपने अनुमान लगा लिया होगा कि यह किस प्रगतिवादी न्यायाधीश की टिप्पणी है।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा

अनुमानित संख्याके 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा में

राज्य सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग में रोष

अजमेर। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती की मुख्य परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए आरक्षित अभ्यर्थियों को बुलाने के नियम में बदलाव किया गया है। अब रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के15गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इस से न्यायिक अड़चनों को रोका जा सकेगा।

सरकार ने आदेश में कहा है कि दो स्तरों पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हित घोषित किए जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की उनका अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए संगणना नहीं की जाएगी।

केन्द्र सरकार ने पदोन्नति में अस्थायी आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी

सरकार ने एस.सी/एस.टी. को पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर कोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

नई दिल्ली, 14 जून (वार्ता)। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के मद्देनजर शीर्ष अदालत से खाली पदों पर फ्लिहाल अस्थायी तौर पर पदोन्नति की इजाजत मांगी है।

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन दाखिल करके एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है। केन्द्र ने शीर्ष अदालत में दायर अर्जी में कहा है कि 78 विभागों मेंसे 23 विभागों में पदोन्नति का काम रूका पड़ा है। सरकार का कहना है कि गत वर्ष 15 अप्रैल को यथास्थिति बनाये रखने के शीर्ष अदालत के आदेश के कारण आरक्षित और सामान्य श्रेणी के तमाम पदों पर पदोन्नति रूकी हुई है।

सरकार का दावा है कि इस साल के पहले महीने तक देश में करीब एक लाख 30 हजार से अधिक पदोन्नतियां रूकी पड़ी है। केंद्र सरकार का कहना है कि हर महीने बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे है। सरकारी नौकरों में इसे लेकर असंतोष एवं रोष है। वे न केवल हतोत्साहित हो रहे है, बल्कि वित्तीय नुकसान को लेकर भी उनमें असंतोष पनप रहा है।

सरकार का अनुरोध है कि उसे अस्थायी तौर पर पदोन्नति की इजाजत दी जानी चाहिए, भले ही यह पदोन्नति शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करे।

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 में सरकार के उस मेमोरेंडम को निरस्त कर दिया था, जिसमें एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण की बात कही गयी थी। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी हुई है, जिस पर यथास्थिति बरकरार है।

समता आन्दोलन ने मनाया अपना 13वाँ स्थापना महोत्सव

जयपुर। समता आन्दोलन ने अपना 13वाँ स्थापना दिवस पूरी गरिमा लेकिन उत्साह से मनाया। कोरोना वायरस के भय से जब पूरा देश लाकडाउन में चल रहा है तब सरकारी नियमों की पालना और स्थापना दिवस समारोह के बीच समन्वय रखते हुए पूरे देश में एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाया गया। समता आन्दोलन के देशभर में फैले सदस्यों और पदाधिकारियों ने अपने घरों में सुन्दरकाण्ड, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करके उसका पुण्य परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया।

समता आन्दोलन के अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने इसके लिये सोशल मीडिया पर 11 मई स्थापना दिवस से कुछ दिनों पहले ही विस्तृत गाइडलाइन्स जारी कर दी थी। इसके तहत धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए सभी से निवेदन किया गया कि शाम को घर में 5,7,11 दीपक जलाऐं और दिन में अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर को अब तक की उपब्धियों के लिये धन्यवाद देते हुए भविष्य के और सुन्दर व सफल बनाने की प्रार्थना करें। ठीक ऐसा ही किया गया।

पूरे देश में कुल 240 से अधिक सुन्दरकाण्ड के पाठ सम्पन्न हुए जिनमें से अकेले प्रदेश मुख्यालय जयपुर पर 112 पाठ हुए। सैकडों हनुमान चालिसा के पाठ किये गये तो पंजाबी भाईयों ने गुरूसाहब को याद किया, मुस्लिम मित्रों ने इस्लामिक इबादत की तथा इसाई सदस्यों ने यीशु मसीह से प्रार्थना की। इतना बड़ा स्वप्रेरित अनुष्ठान 9 प्रदेशों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में पूरा किया गया। हर इन्सान एक समान, एक राष्ट्र एक जान, मेरा भारत महान और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भागभवेत- ये चार समता आंदोलन चार मुख्य सिद्धांत है। इन चारों का वाचन परमेश्वर के सामने करके अनुष्ठान का पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित किया गया।

जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय पर अध्यक्ष के साथ पल्लवी शर्मा, सुभाष छीपा, पं. दुश्यंत शर्मा, श्रीकान्त शर्मा सुमेर व्यास, रामनिरंजन गौड़, लाभचंद शर्मा, सतीश शर्मा प्रवेन्द्र शर्मा, अंकिता शेखावत, अधिराज राठौड़, सुदर्शन राठौड, अंशु शेखावत ने और सूर्यनिधी शर्मा ने अनुष्ठान में भाग लिया। अन्य प्रदेशों की चर्चा करें तो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर चौधरी और महामंत्री आर एस मलिक ने सदस्यों के साथ अनुष्ठान में भाग लेकर अध्यक्ष के निर्णय की सराहना भी की। उत्तर प्रदेश के समता अध्यक्ष रिटायर्ड एस इ गिरिजेश शर्मा ने तो बरेली से नरेश शर्मा ने सपरिवार सुंदरकांड का पाठ किया; महामंत्री देवी प्रसाद तिवाड़ी ने भी अपने घर पर हनुमानअष्टक का पाठ कर दीपक जलाए। बिजनोर में प्रमोदकुमार सिंह ने रामचरित मानस का पाठ किया। आगरा से डॉ राजेश शर्मा ने भी अपने उत्साह से भाग लिया।

मध्यप्रदेश के अध्यक्ष एक्स ई एन अशोक शर्मा ने सुंदरकांड का पाठ कर शाम को दीपमालिका सजाई। गुजरात से प्रदेश अध्यक्ष मनोज जोशी एडवोकेट ने भगवान शिव का अभिषेक किया और ग्यारह दीपकों से आरती उतारी। अहमदाबाद गुजरात से योगेश मिश्रा ने पाठ किया। केन्द्र शासित चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्रीराम पंसारी ने दीप मालिका सजाकर पाठ किया। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कैप्टेन गुरविन्दर सिंह ने सपरिवार गुरूमहाराज से अरदास की। उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष निर्मल सारंगी ने थाली में दीपमालिका सजाकर अनुष्ठान में भाग लिया। तेलंगाना के महासचिव श्री श्रीनिवास ने अंग्रेजी में रिपोर्ट कर बताया कि उन्होने भगवान शिव से समता आंदोलन सफलता की प्रार्थना की है।

राजस्थान के सातों संभाग मुख्यालयों पर से भी उत्साह और उमंग से मनाये गये समारोह की सूचना है। उदयपुर संभाग अध्यक्ष दूल्हेसिंह चूण्डावत, भरतपुर संभागाध्यक्ष पत्र हेमराज गोयल, कोटा संभाग अध्यक्ष अनिल शर्मा ने अपनी टीम के साथ, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बैंक एम्प्लाईज और वर्तमान में बीकानेर संभाग समता अध्यक्ष योगेश कुमार योगी, समता आंदोलन के संस्थापक और जयपुर मंडल अध्यक्ष योगेन्द्र मेघसर, अजमेर संभाग अध्यक्ष एन के झामड़, जोधपुर संभागीय अध्यक्ष कैलाश सिंह राजपुरोहित, संभागीय सचिव जे के पंचारिया आदि ने समता आंदोलन स्थापना दिवस समारोह अनुष्ठान मनाकर उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया।

प्रकोष्ठों की रचना कर उन्हें सक्रिय बनाना समता आंदोलन की विशेषता है। कुल 18 प्रकोष्ठों के अध्यक्षों में महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमति रमा धरेन्द्रा, महिला प्रकोष्ठ अजमेर अध्यक्ष श्रीमति किरण मेहरा, माध्यमिक शिक्षा प्रकोष्ठ अजमेर के सचिव किशोर शर्मा, महिला प्रकोष्ठ बीकानेर की अध्यक्ष संतोष शर्मा, की जी आई प्रकोष्ठ चंडीगढ राजस्थान चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ, श्याम सेवदा उडीसा प्रदेश जगन्नाथ धाम कोस्ट रेल्वे प्रकोष्ठ अध्यक्ष, सुबुद्धि कुमार, खुदी रोड कोस्ट रेल्वे प्रकोष्ठ महामंत्री एम एन राव, कोषाध्यक्ष की एच प्रसाद, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा प्रकोष्ठ महामंत्री दीपक सिंघल, अहमदाबाद पश्चिम रेलवे प्रकोष्ठ अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव, पी एच ई डी प्रकोष्ठ राजस्थान अध्यक्ष एस एस राठौड पश्चिम रेलवे प्रकोष्ठ महामंत्री राजेन्द्र सोती, दिल्ली प्रदेश समता शिक्षक प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुकेश राजस्थान विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष ऋषिराज राठौड़, राजस्थान कर्मचारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष रमेश शर्मा, जबलपुर केन्द्रीय रेल्वे प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमति पुष्पा द्विवेदी, कोटा ब्राहम्मण प्रकोष्ठ अध्यक्ष एस एस शर्मा, उत्तर पश्चिम रेल्वे प्रकोष्ठ अध्यक्ष एस के कौशिक, आदि-आदि ने अपने साथियों और परिवार के साथ स्थापना दिवस समारोह को ऊर्जा प्रदान की।

राजस्थान प्रदेश के 33 जिलों में से 28 जिला मुख्यालयों पद वहाँ के अध्यक्षों ने न केवल अपने घर पर अपितु तहसीलों के गांवों में इस अनुष्ठान को सफल बनाने में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई। इन सभी के आयोजनों के वीडियो और फोटो मिलाकर 55 मिनट का एक वीडियो बनाकर उर्वशी ने यू ट्यूब, फेसबुक, वाट्सएप, ट्वीटर पर भेजकर समता आंदोलन समिति के स्थापना दिवस समारोह को न केवल समूचे भारत वरन दुनिया के पटल तक पहुंचाया। जय समता आंदोलन जय संविधान। -समता डेस्क

स्थापना महोत्सव झलकियाँ

राजस्थान

दिल्ली

गुजरात

हरयाणा

मध्यप्रदेश

चण्डीगढ

उड़ीसा

उत्तर प्रदेश

तेलंगाना

समता आन्दोलन के स्थापना दिवस पर आध्यात्मिक अनुष्ठान किये गये। स्थान की कमी के कारण यहाँ केवल राज्यों के चित्र दिये जा रहे है। राजस्थान के जिलों एवं तहसीलों के चित्र अगले अंक में दिये जाने की कोशिश की जायेगी।

कोविड-19 महामारी के ईलाज लिए आयुर्वेदाचार्यों की सेवाएँ ली जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। कोविड-19 महामारी के बढते प्रकोप का मुकाबला करने के लिए आयुर्वेदाचार्यों की सेवाएँ लेने बाबत समता आन्दोलन समिति ने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखा है। पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी के तेजी से हो रहे प्रसार को देखते हुये आने वाला समय काफी कठिन होने की आशंका है। यह सर्व विदित है कि ऐलोपेथी में कोविड-19 की रोकथाम एवं उपचार के लिए कोई प्रामाणिक दवा या वैक्सीन नहीं है। यह भी सर्वविदित है कि इस महामारी की रोकथाम एवं उपचार के लिए आयुर्वेद के प्रत्येक अनुभवी और विद्वान चिकित्सक आयुर्वेदिक औषधियों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री अनेक बार अपने राष्ट्रीय उद्बोधन में कोविड-19 के उपचार एवं रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक औषधियों को महत्वपूर्ण बता चुके हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग की एडवाइजरी जारी की है। ऐसी परिस्थियों में पत्र में प्रार्थना कि गई है कि:-

1. कोविड-19 महामारी के सम्भावित व्यापक प्रकोप से बचाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का राज्य सरकार के स्तर पर व्यापक उपयोग एवं प्रचार-प्रसार किया जाए।
2. इसके साथ ही सभी 33 जिला मुख्यालयों पर कम से कम 10-10 अनुभवी, विद्वान आयुर्वेदिक चिकित्सकों के साथ 10-10 आयुर्वेदिक नर्सेज की टीम गठित की जावें।
3. उपरोक्त आयुर्वेदिक टीम के लिए कम से कम 100-100 बिस्तर के आयुर्वेदिक औषधालय जिला मुख्यालयों पर तैयार कराये जावें। जिनमें आयुर्वेदिक औषधियों के साथ-साथ पैथोलोजी लेबस, कोविड-19 टेस्टिंग सुविधाएँ व आयुर्वेदिक परम्परा के अनुसार एकान्तवास /सेनेटाइजेसन के प्रबंध भी कराये जावें, सभी जरूरी संसाधन दिलाये जावें।
4. आयुर्वेदिक औषधालयों में पैथोलोजी लेब एवं कोविड-19 के जांच की व्यवस्था नहीं है अत: तत्कालिक व्यवस्था के रूप में दो-दो ऐलोपेथी चिकित्सक, दो-दो एलोपेथिक नर्सेज, दो-दो पैथोलोजिस्ट/लेबअसिस्टेंट्स एवं दो-दो वेंटीलेटर्स प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाये। ताकि कोरोना टेस्टिंग, क्वारनटाइन/एकान्तवास, पैथोलोजिकल लेब और क्रिटिकल मरीजों के संबंध में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा बहुत कम खर्चे पर एलोपेथी औषधालयों के अलावा तीन हजार से अधिक कोविड-19 मरीजों की व्यवस्था आसानी से की जा सकती है।

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in